

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

दी / प्रार्थी

प्रतिवादी / अप्रार्थीगण

तेजपाल

बनाम सुरजपाल

करण : राजस्व बोर्ड / प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 43 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये।
02/3/22	<p>यह वाद/प्रार्थना पत्र अधीन धारा 88, 83 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री गोविन्द राम राऊत ने पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 3.3.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">राजस्थान कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p>	
30/3/22	<p><b>पक्षकार/पक्षकारान के धारबखत</b></p> <p>पत्रानामि के प्रतिवादी से 1 से 5 की ओर से वकील राजपाल राऊत ने बकामतनामा पेश किया। प्रतिवादी से 6 का पक्ष अप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के उपस्थित नामाना होकर राजीनामा पेश किया जिसके उपरोक्त गोविन्द राम राऊत व उपस्थित प्रतिवादी 1 से 5 की पक्षकार वकील राजपाल राऊत के मौ। राजीनामा शर्तित पत्रानामि से रखा जाकर वाद तस्वीर खर्च कराने हेतु उपस्थित पक्षकार को नोटिस कराना तथा मित्र वकालत तस्वीर श्री से 6 व नए राजीनामा तस्वीर हेतु खर्च दिनांक 09.5.22 को पेश हो।</p>	<p>30/3/22</p> <p>गोविन्द राम राऊत</p> <p>गोविन्द राम राऊत</p>
14/5/22	<p><b>पक्षकार/पक्षकारान के धारबखत</b></p> <p>प्रतिवादी/अप्रार्थीगण इतिहासिक रूप से 14/5/22 को वकिलाय उप। राजीनामा तस्वीर हेतु पक्षकारान हाजिर नही आयें। मित्रल दिनांक 28/6/22 का पत्र</p>	<p>अ.नि. सीताराम</p> <p>गीता कल्याण</p> <p>पक्षमी</p> <p>14/5/22</p> <p>राजस्थान कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p>

28/6/22. पत्रावली प्रस्तुत। राजीनामा वाद तस्दीब कर  
मिलल किया गया। वकील वाद की सुना  
गया। मिलल वाले आदेश दिनांक 14/7/22  
को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

14/7/22 पत्रावली प्रस्तुत। वकील फरीकेन उप। वाद  
वाले का आंशिक स्वीकार किया जाकर  
प्राथमिक डिडी किया जाता है। तस्दीब कर  
जायल से वंखारा प्रस्ताव भगवाने हेतु  
तस्दीब जारी हो। मिलल दिनांक 22/8/22  
को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

**अकार/पसकाराव के अधिसूचना**

22/8/22

गैठायीन अधिसूचना की मितिग से/अधिसूचना  
व्यवस्था पर 22/8/22 है, इसलिए प्रस्ताव  
उनके समक्ष दिनांक 29/8/22 को  
पेश हो।

29/8/22 पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाय उप।  
वंखारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अधिसूचना  
वकील फरीकेन को सुना गया।  
मिलल वाले आदेश दिनांक  
14/9/22 को पेश हो।

14/9/22

वकुलाय उप। वाद वाली का  
वंखारा प्रस्ताव अनुसार कतिपय  
डिडी किया जाता है। विद्वह  
निर्णय प्रपक से लिखा जाकर  
सा. मिलल किया गया। मिलल  
निर्णय नगर से प्राप्त होकर  
वाद जाता कार्यवाही दखिल  
दखल रहे।

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल